फा.सं. ए-11019/24/2019-एसटी-I
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(चिकित्सा भण्डार संगठन)

स्कंध – 6, वेस्ट ब्लॉक – 1,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली – 110066
दिनांक : 24.08.2020
28.9.2020

परिपत्र

विषय: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के चिकित्सा भण्डार संगठन में केन्द्रीय सरकार के उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति

चिकित्सा भण्डार संगठन(एमएसओ), केन्द्रीय सरकार के उप सचिव और उससे उच्च स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों से, ई-मेल द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात, वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित शर्तें और निबंधन को विस्तार से **अनुबंधित** किया गया है। पात्रता के मानदंड और अन्य विवरण निम्नानुसार है:

1.	परामर्शदाता की संख्या	01 (एक)
2.	आयु सीमा	परिपत्र जारी करने की तारीख को अधिकतम 65 वर्ष
3.	नियुक्ति का स्थान	चिकित्सा भण्डार संगठन, सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
4.	संविदा का अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता मानदंड	भारत सरकार के सेवानिवृत्त उप सचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिन्हें प्रशासनिक कार्य का अच्छा अनुभव है और जिन्होंने प्रशासन और अन्य विविध मामलों से संबंधित विधायी मामलों का कार्य किया है।
6	कार्य	चिकित्सा भण्डार संगठन(एमएसओ)/सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो के निम्नलिखित मामलों में सहायता प्रदान करना : (i) प्रशासनिक मामले। (ii) कानूनी/अदालती मामले (iii) विविध मामले।

2. इच्छुक व्यक्ति, जो बुलाने पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में हों, इस परिपत्र के जारी होने के दो सप्ताह के अन्दर, पीपीओ की प्रति सहित, अपने विवरण संलग्न फॉरमैट में, "उप निदेशक (प्रशासन), एमएसओ, स्कंध 6, प्रथम तल, वेस्ट ब्लॉक–1, सेक्टर 1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066" को संबोधित करते हुए भेज सकते हैं ईमेल आई डी. mso-mohfw@nic.in.

(स्वरूपा सरण)
उप निदेशक प्रशासन (एमएसओ)

सेवा में,

1. एनआईसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को परिपत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. अवर सचिव, सीएस.I अनुभाग, डीओपीटी, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुबंध

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के चिकित्सा भण्डार संगठन(एमएसओ) में केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की अन्य शर्तें और निबंधन निम्नवत हैं:

1. परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष पादन करना होगा

2. सामान्य कार्यालय समय सोमवार से शुक्रवार, प्रातः 9:30 बजे से लेकर सांय 6:00 बजे तक होगा, जिसमें अपराह्न 1:30 बजे से 2:00 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल है।

3. परामर्शदाता, नियुक्ति के एक वर्ष की अवधि के दौरान, पूर्व में अनुमति लेकर 08 दिवसों के आकस्मिक अवकाश का हक़दार होगा।

4. विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को अवकाश के दौरान या सामान्य कार्यालय समय के बाद भी सेवाओं के लिए बुलाया जा सकता है।

5. चिकित्सा भण्डार संगठन में संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

6. परामर्शदाता को, उनके अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर, टीडीएस आदि के अधीन, अधिकतम 65,000/-रूपये प्रति माह के सूत्र के आधार पर समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। एक माह में दी गईं सेवाओं के पारिश्रमिक का भुगतान उसके अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरों के लिए टीए/डीए के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता वही दिया जाएगा जिसके वह सेवानिवृत्ति के समय हक़दार थे।

7. चिकित्सा भण्डार संगठन के पास, दी गईं सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।

8. वह अपनी बाध्यताओं का निष्पादन सभी आवश्यक कौशल, मेहनत, दक्षता और मितव यियिता से करेंगे।

9. चिकित्सा भण्डार संगठन द्वारा उन्हें किसी भी तरह की कोई चिकित्सीय सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। चिकित्सा कवर की लागत का तत व, यदि कोई है, को पारिश्रमिक में शामिल माना जाएगा

10. चिकित्सा भण्डार संगठन, उन हें यात्रा सहित अपने कार्य के निष्पादन के दौरान या उसके बाद होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति, दुर्घटना, नुकसान/चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा

11. सेवाकाल के दौरान, वह किसी ऐसे पेशेवर क्रियाकलाप के किसी निजी कारोबार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार के हित के विरुद्ध हो सकता है

12. वह सभी कार्यालयी सूचना को गोपनीय समझेंगे और उनका इस्तेमाल केवल सेवाओं के निष्पादन के लिए ही करेंगे।

13. सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के चिकित्सा भण्डार संगठन (एमएसओ) में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

अपनी हालिया पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं।

पद जिसके लिए आवेदन किया हैः ____________________

नाम ____________________

पिता का नाम ____________________

जन्मतिथि ____________________

आधार संख्या ____________________

सेवानिवृत्ति का तिथि ____________________

विभाग जहाँ से सेवानिवृत्त हुए ____________________

अंतिम धारित पद ____________________

अंतिम आहरित वेतन(मूल) ____________________

मूल पेंशन ____________________

दूरभाष संख्या ____________________

मोबाइल संख्या ____________________

ई-मेल का पता ____________________

डाक का पता ____________________

स्थायी पता ____________________

शैक्षिक अर्हता ____________________

कार्य का अनुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना जोड़े)

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	अभ्युक्तियां
	से	तक		

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन में दी गई सूचना, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को, सत्य और सही है । मैं समझता/समझती हूं कि सूचना छिपाने या गलत सूचना देने पर नियुक्ति से इंकार/रोज़गार समाप्त करने/नागरिक दंड लगाने में परिणीत हो सकता है।

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर)